

बिहार विधान सभा सचिवालय

षोडश बिहार विधान सभा के त्रयोदश सत्र में व्यवस्थापन हेतु दिनांक 17 जुलाई, 2019 के लिए संलग्न कटीती प्रस्ताव की सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं :-

माँग संख्या - 20

आय-व्ययक शीर्षक - स्वास्थ्य विभाग

177. प्रभारी मंत्री, स्वास्थ्य विभाग प्रस्ताव करेंगे कि "स्वास्थ्य विभाग" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 96,22,75,89,000/- (छियानवे अरब बाइस करोड़ पचहत्तर लाख नवासी हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

178-184. श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी, श्री ललित कुमार यादव, श्री सदानंद सिंह, श्री भोला यादव, श्री महबूब आलम, श्री समीर कुमार महासेठ एवं श्री रामदेव राय प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की स्वास्थ्य नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या - 16

आय-व्ययक शीर्षक - पंचायती राज विभाग

185. प्रभारी मंत्री, पंचायती राज विभाग प्रस्ताव करेंगे कि "पंचायती राज विभाग" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 122,06,30,76,000/- (एक सौ बाइस अरब छः करोड़ तीस लाख छिहत्तर हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

186-188. श्री ललित कुमार यादव, श्री महबूब आलम एवं श्री समीर कुमार महासेठ प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की पंचायती राज नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या - 29

आय-व्ययक शीर्षक - खान एवं भूतत्व विभाग

189. प्रभारी मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग प्रस्ताव करेंगे कि "खान एवं भूतत्व विभाग" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 51,87,96,000/- (इक्यावन करोड़ सत्तासी लाख छियानवे हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

190-92. श्री ललित कुमार यादव, श्री महबूब आलम एवं श्री समीर कुमार महासेठ प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की खान एवं भूतत्व नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

बटेश्वर नाथ पाण्डेय

सचिव


बिहार विधान सभा, पटना।

कटौती प्रस्ताव की स्वीकृति का निर्णय सदन में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा किया जायगा।

ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-03/2019-2876

/वि०स०, पटना, दिनांक- 03 जुलाई, 2019 ई०।

प्रति:-बिहार विधान सभा के संबंधित माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्य (वित्त) मंत्री / अन्य मंत्रिगण / सरकार के मुख्य सचिव / सरकार के संबंधित विभाग / राज्यपाल के प्रधान सचिव / वित्त आयुक्त / प्रधान सचिव, संसदीय कार्य विभाग / निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग / महाधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(भूदेव राय)


निदेशक,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-03/2019- 2876

/वि०स०, पटना, दिनांक- 03 जुलाई, 2019 ई० ।

प्रति:- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय / प्रधान आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।



(भूदेव राय)
निदेशक,

बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-03/2019- 2876

/वि०स०, पटना, दिनांक- 03 जुलाई, 2019 ई० ।

प्रति:- अवर सचिव, श्रव्य एवं दृश्य इकाई शाखा को विधान सभा के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।


(भूदेव राय)
निदेशक,

बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-03/2019- 2876

/वि०स०, पटना, दिनांक- 03 जुलाई, 2019 ई० ।

प्रति:- विधायी शाखा एवं विधायी बजट शाखा (पाँच प्रतियों में), बिहार विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


(भूदेव राय)
निदेशक,

बिहार विधान सभा, पटना ।

